(d) whether there is any proposal to increase the activities of Government institutions in this regard; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) and (b) the budget allocation of Rs. 165.35 crores (Rs. 141.54 crores-Plan Rs. 23.81 crores-Non-Plan) has been made during 1997-98 for the schemes/programmes being handled by the Ministry of Social Justice & Empowerment for the welfare and development of the disabled persons including mentally handicapped people. It is proposed to reach out to larger number of disabled including mentally retarded through the schemes/programmes.

(c) to (e) Steps have been taken by the Government to increase the services for the mentally retarded, rendered in the areas of early intervention, special education in special schools, home based training programmes, vocational training and employment and community based rehabilitation services. The government propose to introduce a Bill to set-up a Trust to *inter-alia* manage the movable properties bequeathed by families of persons with autism, mental retardation, cerebral palsy and the multiple disabilities. The Trust when set up will assist through providing respite care and family care, day care services besides residential hospitals and the residential homes.

कोरबा स्थित बाल्को को हुआ घाटा

*576. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोरबा स्थित बाल्को का एल्युमिनियम संयंत्र लगातार घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त संयंत्र को कुल कितना घाटा हुआ;

(घ) इन घाटों के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस संयंत्र के प्रबधंकों के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और कदाचार के कारण उक्त संयंत्र को लगातार घाटा हो रहा है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : (क) जी, नहीं। बालको के कोरबा स्थित एल्युमिनियम संयंत्र को 1987-88 से कोई हानि नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बालको को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई हानि नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Management Disaster in Sail

*577. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI GAYA SINGH:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to reports published in some newspapers stating that SAIL has been a management disaster;

(b) if so, whether Government have drawn any action plan to revitalise the ailing company; and

(c) whether Government have considered the possibility to bring about change in top leadership with a view to arresting the downslide and restore the earlier level of confidence in the workforce?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI NAVEEN PATNAIK): (a) Yes, Sir, The Government's attention has been drawn to a report captioned "SAIL is a management disaster" which appeared, last year, in a section of the Press.

(b) and (c) the Department of Steel periodically reviews the performance of Public Sector undertakings (PSUs) under its administrative control including the special & current areas of concern etc.

The main reasons identified for the downslide in SAIL's performance include slow down in demand for steel, greater competition from imports, and enhancement in supplies in domestic market. Further the profits were adversely affected by increase in input prices primarily of coking coal, petroleum products, power, transportation and higher interest cost which could not be fully neutralised by better techno-economic parameters, cost reduction measures and increase in the prices of steel, etc.

SAIL has taken number of steps to improve the performance, which inter-alia include reduction in cost by improving the techno-economic parameters, demand oriented production, improving quality of products, and increasing sales thorugh aggressive and customer oriented marketing, etc.

कार निर्माता कंपनियों के साथ हुआ समझौता

***578. श्री राज मोहिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कार निर्माता कम्पनियों के साथ 1995 में हस्ताक्षरित समझौते में यह तय किया गया था कि वे आगामी तीन वर्ष की अवधि में 50 प्रतिशत कल-पुर्जे का निर्माण भारत में ही करेंगे;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि कार कम्पनियों द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित समझौते का पालन नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस समझौते का उल्लघंन करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और भविष्य के लिए कौन-कौन से नए समझौते किए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) से (घ) सरकार ने 26.6.95 को यह निर्णय लिया था कि उन विदेशी संयुक्त उद्यम कंपनियों को, जिन्होंने यात्री कारों के लिए उत्पादन सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुमति प्राप्त की है, डी जी एफ टी के साथ समझौता ज्ञापन को निष्पादित करना चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अपने अनुमानित स्वदेशीकरण योजनाओं को विनिर्दिष्ट किया जाए। छः संयुक्त उद्यम कार विनिर्माता कंपनियों ने 1995 में सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे जिनमें अपनी स्वदेशीकरण योजनाओं के स्वेच्छा पूर्वक अनुमान प्रस्तुत किए गए थे क्योंकि उस समय प्रवृत्त समझौता ज्ञापन नीति में 50 प्रतिशत स्वदेशीकरण निर्धारित नहीं किया गया था। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही ऐसी कंपनियों को सी के डी/एस के डी किटों का आयात करने के लिए पहला लाइसेंस दिया जाना था और प्रथम वर्ष के बाद उत्तरवर्ती लाइसेंस अपने स्वयं के अनुमानों के बारे में इन कंपनियों द्वारा प्राप्त की गयी प्रगति के आधार पर जारी किए जाने थे। इन कंपनियों की समीक्षा करने से यह स्पष्ट हुआ कि कुल मिलाकर इन कंपनियों द्वारा स्वदेशीकरण संबंधी अनुमानों को पूरा किया गया था। तथापि, चूंकि पूर्ववर्ती समझौता ज्ञापन नीति में कोई न्यूनतम प्रवर्तनीय प्रतिबद्धता निर्धारित नहीं की गयी थी और ऑटोमोबाइल्स कंपनियों द्वारा अपनी स्वदेशीकरण योजनाओं के बारे में स्वैच्छिक अनुमान प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, इसलिए समझौता ज्ञापन नीति की घोषणा 12.12.97 की सार्वजनिक सूचना सं. 60 में की गई थी। इसमें सभी संयुक्त उद्यम कार विनिर्माता कंपनियों के लिए सी के डी/एस के डी किटों/संघटकों की प्रथम आयात खेप की स्वीकृति की तारीख से 3 वर्ष में 50 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर तक और पांचवें वर्ष में अथवा इससे पहले 70 प्रतिशत तक संघटकों का स्वदेशीकरण निर्धारित किया गया। जिन कंपनियों ने 1995 की योजना और 1997 की योजना के अंतर्गत समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं वे निम्नानुसार हैं:—

नाम	समझौता ज्ञापन की तारीख
डी सी एम डेबू मोटर्स लि., नई दिल्ली	14.7.95
कल्याण मोटर्स कं. लि., थाने	28.7.95
मर्सीडिज बेन्ज इंडिया प्रा॰ लि., पुणे	7.9.95
प्रीमियर ऑटोमोबाइल लि., बम्बई	27.9.95
जनरल मोटर्स इंडिया लि. हलोल; गुजरात	23.1.96
महिन्द्रा फोर्ड इंडिया लि., बम्बई	30.4.96
होन्डा सीयल कार इंडिया लि., दिल्ली	27.4.98
इंड ऑटो लि., बम्बई	10.7.98

महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम मजूरी दिया जाना

***579. श्रीमती सरोज दुबे:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मंजूरी दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कारगर कदम उठाने जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डॉ॰ सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में उसी तरह के कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए महिलाओं को समान पारिश्रमिक की अदायगी की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सरकार या रेलवे प्रशासन के